

जाशणी / वलनकोर 113/2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30/5/24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.6.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगना है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
13.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलाट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलाट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दन)</p>	